न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्याः— 45/2015
आरसीएमएस नं. :—2015/00207

1. वीरपाल कौर पत्नी स्व0 श्री नानकसिंह जाति जटसिख निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. सुखप्रीत कौर उम्र 12 वर्ष } पुत्र पुत्री नानकसिह नाबालिगान जरिये कुदरती
3. नवजोत सिह उम्र 9 वर्ष } वली माता वीरपाल कौर पत्नी स्व0 श्री नानक सिंह जाति जटसिख निवासी अयालकी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. तरसेम सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. मलकीत कौर पुत्री करतार सिंह पत्नी हरपाल सिंह जाति जटसिख साकिन अमरसिह वाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. जसवीर कौर पुत्री करतार सिंह पत्नी कृपाल सिह जाति जटसिख साकिन अमरसिंह वाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
4. अमरजीत कौर पुत्री करतार सिह पत्नी हरनेक सिंह जाति जटसिख साकिन बाजक तहसील व जिला भठिण्डा पंजाब।
5. छिन्द्र कौर उर्फ अमरजीत कौर पुत्री करतार सिह पत्नी गुरचरण सिंह जाति जटसिख साकिन संगत मण्डी तहसील व जिला भठिण्डा पंजाब।
6. रानी कौर उर्फ कुलविन्द्र कौर पुत्री करतार सिंह पत्नी गुरचरण सिंह जाति जटसिख साकिन संगत मण्डी तहसील व जिला भठिण्डा पंजाब।
7. रानी कौर उर्फ कुलविन्द्र कौर पुत्री करतार सिंह पत्नी मनजीत सिंह जाति जटसिख निवासी बाजक तहसील व जिला भठिण्डा पंजाब।
8. उप पंजीयक, गोलूवाला तहसील पीलीबंगा।

—— रेस्पोडेंट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध आदेश दिनांक 03.06.2015
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
प्र. सं. 89/2014 अनवान वीरपाल कौर बनाम तरसेम सिह

उपस्थितिः–
श्री बलविन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री लालचन्द वर्मा एवं श्री खुशप्रीत सिह अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 8

निर्णय दिनांक 18.05.23

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें कथन किया कि प्रार्थी संख्या 1 के ससुर व प्रार्थी संख्या 2 व 3 क दादा श्री करतार सिह के नाम चक 13 एमओडी (बी) में 4.174 है0 नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता व चक 15 एमओडी (ए) में 3.668 है0 नहरी में 1/2 हिस्सा राजस्व अभिलेख में दर्ज है। करतार सिह की मृत्यु हो चुकी है जिसका विरास्तन इन्तकाल उनके सात वरिसों अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 व प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के नाम बहिस्सा बराबर अर्थात प्रत्येक को 1/7 हिस्सा के तौर पर दर्ज हो चुका है। यह भी कथन किया कि अप्रार्थीगण सं0 2 ता 6 ने अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 02.04.2014 को अपने हिस्सा की भूमि में से 1/2 हिस भूमि का त्यागपत्र निष्पादित करवाया है। शेष 1/2 हिस्सा की भूमि अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 6 के द्वारा अपीलार्थीगण के पक्ष में मौखिक तौर पर त्याग की हुई है। यह भी कथन किया कि अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 6 को अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने चंगुल में लेकर इस भूमि का नामान्तरणस अपने नाम करवाने के लिए प्रयासरत है। यह भी कथन किया कि अप्रार्थीगण के अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 की ओर से जवाब प्रस्तुत अभिकथित किया गया कि प्रार्थी संख्या 1 ने अन्यत्र शादी बलवीर सिह निवासी गोलूवाला के साथ कर ली है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 ने प्रार्थीगण के पक्ष में कभी भी हकत्याग नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 ने अपनी कृषि भूमि में से

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

1/2 हिस्सा का हक त्याग दिनांक 02.04.2014 को जरिये पंजिकृत दस्तबरदारी अप्रार्थी संख्या 1 क पक्ष में किया है इसका नामान्तरण हो चुका है। यह भी कथन किया कि अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 6 अपने शेष 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 को उनकी वयस्कता पर उनके नाम करवने के लिए पाबन्द रहेंगी। अन्ततः प्रार्थना–पत्र खारिज करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रार्थना–पत्र खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में राजस्व शिविर अयालकी में पारित किया गया है, जबकि ऐसे मामलो जो समझौता के आधार पर लोक अदालत के माध्यम से निपटाये जा सकते हो उन्हीं को ऐसे शिविर लोक अदालत न्याय आपके द्वार में पारित किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र का गलत व मनमाना प्रयोग किया है। अपीलाण्ट के अधिवक्ता शिविर में मौजूद नहीं थे। विधि अनुसार कोई भी सह खातेदार व सह हिस्सेदार किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में अपने अधिकारों का त्याग नही कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण संख्या 2 ता 6 के द्वारा अपनी कृषि भूमि में से 1/2 हिस्से के संबंध में जो दस्तबरदारी अप्रार्थी संख्या 1 क पक्षमें पंजीकृत करवाई गई है उसका लाभ केवल अप्रार्थी संख्या 1 को प्राप्त होने संबंधी अविधिक व्याख्या की है जबकि अप्रार्थीगण सं0 2 ता 6 के द्वारा निष्पादित व पंजीकृत करवाई गई दस्तबरदारी में संलिप्त कृषि भूमि का आधा भाग अपीलार्थीगण को संयुक्त रूप से प्राप्त होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र खारिज किया है जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2006 (1) पेज 421 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी संख्या 1 ने अन्यत्र शादी बलवीर सिह निवासी गोलूवाला के साथ कर ली है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 ने प्रार्थीगण के पक्ष में कभी भी हकत्याग नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 ने अपनी कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा का हक त्याग दिनांक 02.04.2014 को जरिये पंजिकृत दस्तबरदारी अप्रार्थी संख्या 1 क पक्ष में किया है इसका नामान्तरण हो चुका है। यह भी कथन किया कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 6 अपने शेष 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 को उनकी वयस्कता पर उनके नाम करवाने के लिए पाबन्द रहेंगी। अब प्रार्थीगण का किसी प्रकार का हक हिस्सा नहीं है। प्रार्थीगण अपने 1/7 हिस्सा पर ही काबिज काश्त है। शेष भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 काबिज है। विद्वान न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपीलाण्ट ने हमें हैरान परेशान करने के लिए यह अपील पेश की है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थीगण का राजस्व अभिलेख में 1/7 हिस्सा दर्ज है शेष भूमि के अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार हैं। अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 ने अपने हिस्से में से 1/2 हिस्सा का हकत्याग जरिये दस्तबदारी अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में कर दिया है व शेष 1/2 हिस्सा का उन्होंने कोई हक त्याग नहीं किया है। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 ने उन्हें 1/2 हिस्सा का हकत्याग कर दिया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र खारिज किया है जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.06.2015 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 18.5.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/5/23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ